NACO

राष्ट्रीय रक्त नीति

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
भारत सरकार

राष्ट्रीय रक्त नीति

NACO

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
भारत सरकार

विषय सूची

प्रस्तावना 1

मिशन विवरण 2

नीति के उद्देश्य 2

राष्ट्रीय रक्त नीति

प्रस्तावना

एक सुसंगठित रक्ताधान सेवा किसी भी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय का एक महत्वपूर्ण घटक है। आधान संचारित संक्रमणों के उन्मूलन और लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त रक्ताधान संवाऐं प्रदान करने के लिए रक्त निरापदता हेतु एक एकीकृत कार्य नीति अपेक्षित है। एक एकीकृत कार्य नीति के मुख्य घटक में स्वैच्छिक, पारिश्रमिक न लेने वाले रक्त दाताओं से रक्त का एकत्रण सभी आधान संचारित संक्रमणों के लिए जांच और अनावश्यक आधान में कमी करना शामिल है।

देश में रक्ताधान सेवा अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है और इसमें जनशक्ति, पर्याप्त आधारभूत ढांचा और वित्तीय आधार जैसे अनेक महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। मुख्य मुद्दा जो देश में रक्त बैंकिंग पद्धति के लिए कष्टदायी है, वह है विखंडित प्रबंधन। मानक राज्य दर राज्य, शहर दर शहर और उसी शहर में केन्द्र दर केन्द्र भिन्न-भिन्न हैं। अस्पताल आधारित पद्धति के बावजूद, बहुत बड़े-बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होमों के अपने रक्त बैंक नहीं है और इससे अकेले प्राइवेट रक्त बैंकों का प्रचुरोद्भव हुआ है।

रक्त घटक उत्पादन/उपलब्धता और समुपयोजन अत्यधिक सीमित है। आधान चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों की कमी है।

रक्त और रक्त उत्पादों की गुणवत्ता, निरापदता और प्रभावकारिता के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ सुसज्जित रक्त केन्द्रों का होना एक अनिवार्य अपेक्षा हैं। रक्त के क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए क्लिनिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अधिकतम निरापदता प्राप्त करने हेतु समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की ओर गतिमान उत्तम

विनिर्माण पद्धतियों और गुणवत्ता पद्धति के कार्यान्वयन की अपेक्षाओं ने रक्ताधान सेवा के संघटन और प्रबंधन के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है।

इस प्रकार रक्ताधान सेवा में आशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता से एक राष्ट्रीय रक्त नीति तैयार करना और एक राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रम विकसित करना आवश्यक हो गया है जिससे भारत के उच्चतम न्यायालय के 1996 के निर्देशों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा।

मिशन विवरण

नीति का उद्देश्य उपकरणों से सुसज्जित परिसरों में किसी स्वैच्छिक पारिश्रमिक न लेने वाले नियमित रक्त दाता से एकत्र/प्राप्त किए गए निरापद और गुणवत्तायुक्त रक्त और रक्त घटकों तक सहज पहुंच और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करना है जो आधान संचारित संक्रमण से मुक्त हो और जिसे इष्टतम स्थितियों के अंतर्गत भंडारित किया जाए और वाहन द्वारा लाया-ले जाया जाए। इस नीति के अधीन उन सब के लिए जिन्हें उनकी आर्थिक अथवा सामाजिक स्थिति का ध्यान किए बिना इसकी जरूरत होती है, व्यापक, कार्यक्षम और एक समग्र गुणवत्ता प्रबंधन नीति के जरिए प्रशिक्षित कार्मिकों की देखरेख के अधीन आधान सुनिश्चित किया जाएगा।

नीति के उद्देश्य

उपर्युक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं:–

1. रक्त, रक्त घटकों और रक्त उत्पादों की निरापद और पर्याप्त मात्रा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दृढ़तापूर्वक दोहराना।

2. पूरे देश में रक्ताधान सेवाओं के विकास और उन्हें पुर्नगठित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करना।

3. रक्ताधान सेवाओं के संचालन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करना और इसका एक अद्यतन तरीके से कार्यकरण सुनिश्चित करना।

4. निरापद रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दाता की सूचना, शिक्षा, अभिप्रेरणा, भर्ती और उसे बनाए रखने के लिए गहन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना।

5. रक्त और रक्त उत्पादों के समुचित इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

6. मानव संसाधन विकास के जरिए जनशक्ति को सुदृढ़ बनाना।

7. आधान चिकित्सा और संबंध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

8. रक्ताधान सेवाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त विनियाामक और वैधानिक उपाय शुरू करना और रक्त बैंकों में मुनाफाखोरी का उन्मूलन करने के लिए उपाय शुरू करना।

उद्देश्य–1 :

रक्त, रक्त घटकों और रक्त उत्पादों की निरापद और पर्याप्त मात्रा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दृढतापूर्वक दोहराना।

कार्यनीति

1.1 देश में लाभ निरपेक्ष एकीकृत राष्ट्रीय और राज्य रक्ताधान सेवाओं

की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय रक्ताधान कार्यक्रम विकसित किया जाएगा।

1.1.1 रक्त केन्द्रों के प्रचालन से संबंधित सभी मामलों के बारे में राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद नीति बनाने वाला शीर्ष निकाय होगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद को रक्ताधान सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट आवंटित करेगा।

1.1.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदें राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद की सिफारिशों के अनुसार राज्य/संघ क्षेत्र स्तर पर रक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी।

1.1.3 राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद और राज्य रक्ताधान परिषदों के बीच बेहतर समन्वय के लिए तंत्र राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा।

1.1.4 देश में राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और आवधिक मूल्यांकन करने हेतु तंत्र विकसित किये जाएंगे।

1.1.5 रक्त और रक्त उत्पाद मानकों का प्रवर्तन करना औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों के अनुसार पता लगाए गए विशेषज्ञों की सहायता से औषध महानियंत्रक (भारत) की जिम्मेदारी होगी।

1.1.6 राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद रक्ताधान सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए अन्य मंत्रालयों और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

1.2 रक्त का व्यापार अर्थात् रक्त की बिक्री और खरीद प्रतिषिद्ध होगी।

1.2.1 100 प्रतिशत स्वैच्छिक गैर-पारिश्रमिक वाले रक्तदान कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिस्थापन दाताओं की पद्धति को धीरे-धीरे एक समयबद्ध कार्यक्रम में समाप्त किया जाएगा।

1.2.1.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदें प्रतिस्थापन दाताओं को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेंगी।

1.3 लोगों को निरापद रक्त उपलब्ध करने के लिए आधान सेवाओं की निम्नलिखित श्रृंखला का संवर्धन किया जाएगा।

1.3.1 राज्य रक्ताधान परिषदें क्षेत्रीय रक्त केन्द्रों और सेटेलाइट केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए तथा अन्य सरकारी, भारतीय रेड क्रास सोसायटी और गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए गए रक्त केन्द्रों के जरिए रक्ताधान सेवा का संघटन करेंगी और उनके कार्यकरण की मानीटरिंग करेंगी। सभी क्षेत्रीय केन्द्रों को इर्द-गिर्द का क्षेत्र सौंपा जाएगा जिसमें अन्य रक्त बैंकों और अस्पतालों, जो क्षेत्रीय केन्द्र से संबद्ध होंगे, कि किसी भी अपेक्षा के लिए सहायता की जाएगी और उनकी क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। यह इस क्षेत्र से डेटा एकत्र करने में राज्य करने में राज्य रक्ताधान परिषद की मदद भी करेगा।

1.3.2 क्षेत्रीय केन्द्र अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए स्वायत्त होंगे और उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदों की सिफारिशों के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। क्षेत्रीय केन्द्र इसे सौंपे गए क्षेत्र के लिए एक रेफरल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

1.3.3 राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे रक्त केन्द्रों को पारिभाषित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी ताकि रक्त बैंकिंग में मुनाफाखोरी से बचा जा सके।

1.4 दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की विशेष अपेक्षा के कारण छोटे गैरीसन एककों को विशेष लाइसेंस प्रदान करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। ये एकक इस क्षेत्र की असैनिक रक्त जरूरतों के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

उद्देश्य–2 :

पूरे देश में रक्ताधान सेवाओं के विकास और उन्हें पुनः संघटित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करना।

कार्यनीति

2.1 राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिषदों की विभिन्न मौजूदा कार्यक्रमों से संसाधनों के एकत्रीकरण और यदि संभव होगा तो अर्न्तराष्ट्रीय/द्विपक्षी अभिकरणों से निधियां एकत्र करके वित्तीय रूप से सहायता की जाएगी/उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा।

2.2 प्रयासों को लाभ निरपेक्ष वसूली पद्धति के जरिए रक्ताधान सेवा को व्यवहार्य बनाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2.2.1 राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद लाभ निरपेक्ष लागत वसूली तथा आर्थिक सहायता पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश देगी।

2.2.2 रक्ताधान सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निधियां जुटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.2.3 रक्त बैंकों को उनकी सेवाओं में सुधार लाने के लिए रक्त/रक्त घटकों की लागत वसूली के माध्यम से प्राप्त धन को प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र में तंत्र बनाया जाएगा।

उद्देश्य—3 :

रक्ताधान सेवाओं को चलाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाना और इनके कार्यकरण को अद्यतन तरीके से सुनिश्चित करना।

कार्यनीति

3.1 जांच, संसाधन और भंडारण के न्यूनतम मानक बनाए जाएंगे और सुनिश्चित किए जाएंगे।

3.1.1 मानक, औषध और प्रसाधन सामगी अधिनियम/नियमों, और भारतीय भेषज संहिता को जब भी आवश्यक होगा अद्यतन किया जाएगा।

3.1.2 औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए सभी अनिवार्य जांचों को लागू किया जाएगा।

3.1.3 प्रभावी अनुवीक्षण सुनिशिचत करने के लिए भारत के औषध नियंत्रक क निरीक्षक-वर्ग और राज्य खाद्य और औषध प्राधिकरण को सुदृढ़ किया जाएगा।

3.1.4 केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिग प्राधिकरणों के अंर्तगत एक सर्तकता कक्ष सृजित किया जाएगा।

3.2 सभी रक्त केन्दों में एक गुणवत्ता पद्धति स्कीम शुरू की जाएगी।

3.2.1 सौंपे गए क्षेत्र में रक्त और रक्त धटकों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए 15,000 यूनिटों से अधिक यूनिटें एकत्र करने वाले प्रत्येक क्षेत्रीय रक्त केन्द्र/रक्त केन्द्र में गुणवत्ता आश्वासन प्रबन्धक पदनामित किया जाएगा। वह सिर्फ केवल गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेवार होगा।

3.2.2 प्रत्येक रक्त केन्द्र एक आन्तरिक लेखा-प्रणाली आरंभ करेगा और उसके बाद सतत् सुधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में अन्तरों में कमी लाने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करेगा।

3.2.3 रक्त केन्द्रों में काम करने वाले कार्मिकों को अद्यतन बनाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन के विषय पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी।

3.2.4 सभी रक्त केन्दों में कार्मिकों की नियमित दक्षता जांच शुरु की जाएगी।

3.3 उच्च मानक और एकरूपता प्राप्त करने में भागीदार केन्दों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद द्वारा अनुमोदित रैफरल प्रयोगशालाओं के माध्यम से एक बाह्य गुणवत्ता आश्वासन स्कीम शुरू की जाएगी।

3.3.1 बाह्य गुणवत्ता आश्वासन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रेफ्रेंस केन्द्रों की पहचान की जाएगी। बाह्य गुणवत्ता आश्वासन स्कीम के लिए सभी रक्त केन्द्रों को इन रेफरेंस केन्द्रों से जाड़ा जाएगा।

3.3.2 देशी और आयातित उपभोज्यों, रिएजेन्टों और प्लाजमा उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण क लिए राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद एक राष्ट्रीय महत्व के केन्द्र की पहचान करेगी।

3.4 रक्त बैंकों में प्रयुक्त किटों, उपस्करों और उपभोज्यों के देशीकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे।

3.5 बढ़ी हुई कार्यदक्षता के साथ अधिक कार्यभार को निपटाने के लिए स्वचलन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.6 भारत के बाहर से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी / सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा।

3.7 रक्त बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर अपने प्रत्येक रक्त केन्द्र अपने स्वयं के मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करेगा।

3.7.1 राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद द्वारा रक्त केन्द्रों के लिए दिशानिर्देश के रूप में जेनेरिक मानक संचालन प्रक्रियायें विकसित की जाएंगी।

3.8 सभी रक्त केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नियमावली "अस्पताल जनित संक्रमण : नियन्त्रण के लिए दिशानिर्देश" में यथा उपबन्धित जैव-सुरक्षा दिशा निर्देशों और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अंर्तगत मौजूदा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और संभाल) नियम-1996 के उपबंधों के अनुसार जैव खतरनाक अपशिष्ट के निपटान का कड़ा अनुपालन करेंगे।

उद्देश्य–4 :

निरापद रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दाता अभिप्रेरण सहित रक्त बैंकिंग सेवाओं के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों को शुरू करना।

कार्यनीति

4.1 शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयंसेवी, पारिश्रमिक न लेने वाले रक्त दाताओं की भर्ती और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाएगें।

4.1.1 प्रतिस्थापी रक्त दाताओं के पंजीयन में कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा।

4.1.2 प्रतिस्थापी दाताओं को नियमित स्वैच्छिक रक्त दाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.1.3 लोगों के बीच रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.1.4 सभी रक्त बैंकों में रक्त दाता नियोजन अधिकारी/दाता आयोजक होंगें।

4.1.5 प्रत्येक रक्त केन्द्र रक्तदाताओं की डायरेक्टरी बनायेगा और उसे अद्यतन करेगा जिसे गोपनीय रखा जाएगा।

4.1.6 रक्तदान कार्यकलापों में युवाओं को शामिल करने के लिए दाता आधारित विशेष सूचना शिक्षा संचार अभियान को बढ़ाने के उद्देश्य से शूरू किये जाएंगे।

4.2 सुरक्षित रक्तदाताओं का पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2.1 रक्तदाता जांच निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2.2 रक्तदान शिविरों में उचित ध्यान एकत्रित यूनिटों की संख्या की बजाए राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रक्तदाताओं के पजीयन और जांच पर दिया जाएगा।

4.2.3 दान के पहले और दान के बाद परामर्श के लिए प्रत्येक रक्त बैंक में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी।

4.2.4 दान के बाद की सूचना और परामर्श के लिए परिणाम जानने के इच्छुक रक्तदाताओं को रक्त जांच केन्द्र में रैफर कर दिया जाएगा।

4.3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदें नियमित स्वैच्छिक पारिश्रमिक व लेने वाले रक्तदाताओं और रक्तदाता आयोजकों की सेवाओं को उचित मान्यता देंगीं।

4.4 राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदें संचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करते हुए, जिनमें स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जन प्रचार माध्यम और पैसा लेकर रक्तदान देने वालों से लिए गए रक्त के खतरों तथा अनधिकृत रक्त बैंकों/प्रयोगशालाओं से रक्त के प्रापण के बारे में जागरूकता पैदा करना भी शामिल है, एक सूचना शिक्षा संचार अभियान तैयार करेंगी और चलायेंगी।

4.5 स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदें अन्य विभागों/क्षेत्रों को शामिल करेंगी।

उद्देश्य–5 :

रक्त और रक्त उत्पादों के उचित नैदानिक उपयोग को प्रोत्साहित करना।

कार्यनीति

5.1 रक्त का उपयोग तभी किया जाएगा जब आवश्यक होगा। रक्त और रक्त उत्पादों का रक्ताधान ऐसी स्थितियों जिनसे महत्वपूर्ण रुग्णता और मौतें होती हैं, जिन्हें अन्य उपायों द्वारा नहीं रोका जा सकता या जिनका प्रभावी उपचार नहीं किया जा सकता, का उपचार करने के लिए ही किया जाएगा।

5.2 समय-समय पर जब भी आवश्यक होगा "रक्त का नैदानिक उपयोग" संबंधी राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को उपलब्ध और अद्यदन किया जाएगा।

5.3 रक्त के प्रभावी और दक्ष क्लिनिकी इस्तेमाल को दिशा निर्देशों के अनुसार बढ़ावा दिया जाएगा।

5.3.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी अस्पतालों में रक्त के प्रभावी और दक्ष नैदानिक उपयोग के मार्गदर्शन, अनुवीक्षण और लेखा-परीक्षा के लिए अस्पताल रक्ताधान समितियां स्थापित की जाएं।

5.3.2 जहां कहीं भी उपयुक्त होगा रक्त के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए प्लाविकावर्धक (प्लाजमा ऐक्सपैंडर) के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

5.3.3 रक्ताधान की आवश्यकता को न्यूनतम करने के लिए वैकल्पिक कार्यनीतियों का बढ़ावा दिया जाएगा।

5.4 रक्त के प्रभावकारी नैदानिक प्रयोग में शिक्षा एवं प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

5.4.1 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से निम्नलिखित पहलें शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा :–

5.4.1.1 स्नातकपूर्व तथा सभी स्नातकोत्तर चिकत्सा पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में रक्ताधान चिकित्सा को शुरू करना।

5.4.1.2 इन्टर्नशिप के दौरान रक्ताधान चिकित्सा विभाग में कम से कम 15 दिनों की तैनाती आरम्भ करना।

5.4.1.3 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा चिकित्सीय पंजीकरण के नवीकरण के लिए क्रेडिट आवर्स के परिकलन में एक विषय के रूप में रक्ताधान चिकित्सा, यदि इसे शुरू किया जाता है, को शामिल करना।

5.4.2 राज्य रक्ताधान परिषदों द्वारा अपने राज्यों में निजी तथा सर्वाजनिक क्षेत्रों में कार्यरत सभी क्लीनिशियनों के लिए व्यावसायिक निकायों के साथ परामर्श करके नियमित अंतरालों पर अविच्छिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

5.5 आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम-1956 के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही रक्त तथा इसके संघटक नुस्खे के रूप में निर्धारित किए जाएंगे।

5.6 पर्याप्त संख्या में रक्त संघटक पृथक्करण एककों को सृजित करके क्षेत्रीय केन्द्रों, अनुषंगी (सेटेलाइट) केन्द्रों तथा अन्य रक्त केन्द्रों के

नेटवर्क के जरिए रक्त संघटकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

5.7 मौजूदा केन्द्र की क्षमता के विस्तार तथा देश में नए केन्द्रों की स्थापना के जरिए देश की आवश्यकतानुसार प्लाज्मा के अंशों (फ्रेक्शनो) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

5.8 रक्त की आपूर्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड-चैन के उचित अनुरक्षण सहित रक्त तथा रक्त उत्पादों के परिवहन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

5.9 प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान रक्त की आपूर्ति के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे।

उद्देश्य–6 :

मानव संसाधन विकास के जरिए कार्मिक शक्ति को सुदृढ़ करना।

कार्यनीति

6.1 रक्ताधान चिकित्सा को एक विशेष विषय के रूप में समझा जाएगा।

6.1.1 मेडिकल कालेजों में रक्ताधान चिकित्सा का एक अलग विभाग स्थापित किया जाएगा।

6.1.2 रक्ताधान चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (रक्ताधान चिकित्सा में एम.डी.) तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सभी राज्यों के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.1.3 रक्ताधान चिकित्सा (पी.एच.डी./एम.एस.सी.) में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.2 नर्सों, तकनीशियनों तथा फार्मासिस्टों के लिए मौजूदा सभी पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में रक्ताधान चिकित्सा को समाविष्ट किया जाएगा।

6.3 रक्त केन्द्रों में कार्यरत सभी श्रेणियों के कार्मिकों तथा औषध निरीक्षकों एवं विनियामक एजेंसियों के अन्य अधिकारियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

6.4 सभी राज्यों में नियमित एवं एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए दाता आयोजकों/दाता भर्ती अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उचित मापदण्ड विकसित किए जाएंगे।

6.4.1 दाता आयोजक/दाता भर्ती अधिकारियों के रूप में नियुक्त व्यक्ति राज्य रक्ताधान परिषदों द्वारा आयोजित दाता अभिप्रेरण तथा भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

6.5 समुदाय आधारित संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों जो स्वैच्छिक रक्तदाता नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा करते हैं; के लिए दाता अभिप्रेरण एवं नियोजन संबंधी लघु अभिविन्यास प्रशिक्षण सह हिमायत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

6.6 रक्ताधान सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केन्द्रों के साथ जुड़े हुए कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं अनुभव के लिए देश के भीतर और दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उद्देश्य–7 :

रक्ताधान चिकित्सा तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

कार्यनीति

7.1 रक्त बैंकिंग से संबंधित रक्ताधान चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद्/राज्य रक्ताधान परिषदों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

7.2 देश में अनुसंधान तथा विकास का समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक तकनीकी संसाधन कोर समूह सृजित किया जाएगा। यह समूह औषध नियंत्रक (भारत) के समन्वय में नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की संस्तुति करने हेतु जिम्मेदार होगा।

7.3 रक्ताधान से संबंधित मामलों पर बहु-केन्द्रिक अनुसंधान पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.4 तथ्यपूर्ण सूचना के आधार पर उपयुक्त निर्णय लेने तथा/या नीतिगत पहल शुरू करने के लिए, विभिन्न पहलुओं जैसे कि रक्ताधान, संचार्य रोगों, दाताओं में ज्ञान, मनोवृत्ति तथा व्यवहार, रक्त के नैदानिक प्रयोग, आवश्यकता निर्धारण इत्यादि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रचालनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

7.5 कंम्प्यूटर आधारित सूचना तथा प्रबंधन प्रणालियां विकसित की जाएंगी जिनका प्रयोग नेटवर्क को सुकर बनाने के लिए सभी केन्द्रों द्वारा नियमित रूप से किया जा सकता है।

उद्देश्य–8 :

रक्त बैंकों में मुनाफाखोरी के उन्मूलन के लिए पर्याप्त वैधानिक तथा शैक्षणिक कदम उठाना

कार्यनीति

8.1 रक्त बैंक की योजना सहित रक्त बैंक लाइसेंस प्रदान करने/लाइसेंसो के नवीकरण के लिए रक्ताधान चिकित्सा विशेषज्ञ, केन्द्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एफ.डी.ए. सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदों के सदस्यों वाली एक समिति गठित की जाएगी जो औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवेदकों की जांच करेगी।

8.2 निजी क्षेत्र के अकेले रक्त बैंकों को नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। ऐसे रक्त बैंकों का नवीकरण पूर्ण छानबीन के अध्यधीन होगा तथा लाइसेंस की किसी शर्त का पालन नहीं करने की स्थिति में इनका नवीकरण नहीं किया जाएगा।

8.3 सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान परिषदें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रक्ताधान सेवा के लिए राज्य कार्य योजना विकसित करेंगी जिनमें क्षेत्रीय रक्ताधान केन्द्रों की पहचान की जाएगी। ये केन्द्र सरकार, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी या अन्य गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे प्रसिद्ध रक्त बैंकों के हैं। अनुमोदित क्षेत्रीय रक्त केन्द्रों/सरकारी रक्त केन्द्रों/भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को सेटेलाइट केन्द्रों जिन्हें समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है जैसा कि पैरा 8.1 में वर्णित है, के लिए रक्त तथा रक्त उत्पादों की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। सेटेलाइट केन्द्रों के जरिए रक्त तथा उत्पादों के परिवहन, भंडारण, क्रॉस मैचिंग तथा वितरण के लिए क्षेत्रीय केन्द्र जिम्मेवार होगा।

8.4 एक वरिष्ठ अधिकारी, जो मुख्यालय के औषध नियंत्रक (भारत) के कार्यालय में उप-औषध नियंत्रक (भारत) के स्तर से नीचे न हो, के अधीन एक अलग रक्त बैंक सैल बनाया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र औषध नियंत्रण विभाग उचित निरीक्षण एवं प्रर्वत्तन के लिए निरीक्षकों सहित प्रशिक्षित अधिकारियों वाले ऐसे ही सैल बनाएंगे।

8.5 पैसा देकर रक्तदान करने वाले दाताओं, जो प्रतिस्थापन दाताओं के वेश में कार्य करते हैं, के लिए भयावह उपाय के रूप में ऐसी संस्थाएं, जो रक्ताधान के लिए रक्त का निर्धारण करती हैं, लाइसेंस प्राप्त रक्त केन्द्रों के साथ अपने संबंधन के जरिए अपने रोगियों के लिए रक्त की खरीद हेतु जिम्मेदार होंगी।

8.6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नर्सिंग होमों के पंजीकरण के लिए नियम बनाएंगे जिनमें उनके रोगियों के लिए रक्त की खरीद हेतु लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक के साथ संबंधन के प्रावधानों को समाविष्ट किया जाएगा।

8.7 रक्त बैंकिंग प्रणाली में अनधिकृत/अनियमित पद्धतियों के लिए सख्त दंड शुरू करने हेतु औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के मौजूदा उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।